रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1789] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2015/भाद्र 2, 1937
No. 1789] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2015/BHADRA 2, 1937

**विद्युत मंत्रालय**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 10अगस्त, 2015

**का.आ. 2296(अ).**—17.08.2006 को अधिसूचित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक के अर्हता, शक्तियों और कार्य नियमावली, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा श्री एम.के. सिंघल, मुख्य वैद्युत अभियंता, दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन को इस अधिसूचना की तारीख से डीएमआरसी में उनके कार्यकाल तक उपर्युक्त नियम में उल्लिखित अर्हता और शर्त को पूरा करने के अध्यधीन कोच्चि मैट्रो रेल लिमिटेड (के एम आर एल) के लिए मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार के एम आर एल के अधिकार वाले क्षेत्रों अथवा के एम आर एल के नियंत्रणाधीन/के एम आर एल से संबंधित कार्यों के संबंध में तथा सभी वैद्युत संस्थापनाओं में वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं, वैद्युत रोलिंग स्टॉक के संबंध में अधिकार का प्रयोग करेंगे और अपना कार्य निष्पादित करेंगे।

के एम आर एल यह सुनिश्चित करेगा कि श्री एम.के. सिंघल, मुख्य वैद्युत निरीक्षक के लिए निर्धारित कार्यों के सिवाय मुख्य वैद्युत अभियंता के रूप में अथवा किसी भी हैसियत में के एम आर एल से संबद्ध नहीं होंगे।

मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति वह प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा.सं.-42/3/2013-आरएण्डआर]

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF POWER

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2015

**S.O. 2296(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualifications, Powers and Functions for Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 notified on 17.8.2006, the Central Government hereby appoints Shri M.K.Singhal, Chief Electrical Engineer, Delhi Metro Rail Corporation, as Chief Electrical Inspector for Kochi Metro Rail Ltd. (KMRL), from the date of this Notification till his tenure in DMRC, subject to fulfillment of the Qualification and Condition mentioned in the above Rule.

The above mentioned officer shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by the KMRL or in respect of works and all electrical installations under the control of KMRL/belonging to KMRL as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010.

KMRL will ensure that Shri M. K. Singhal will not be the associated to KMRL as Chief Electrical Engineer or in any capacity except task prescribed for as Chief Electrical Inspector.

The person appointed as Chief Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. -42/3/2013-R&R]

JYOTI ARORA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.